कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
पत्रांक-सी-73/अधि0-7/विकास नि0खाता लखनऊ दिनांक दिसम्बर 15 ,2015
समस्त सयुक्त/उपआयुक्त एवं सयुक्त/उप निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0 कानपुर
लखनऊ।(वाराणसी,बस्ती,देवीपाटन,एवं गोरखपुर मण्डल को छोडकर)

इस कार्यालय के परिपत्रांक सी– 28/अधि0–7 दि0 17 जुलाई,2015 व परिपत्रांक सी–72/अधि0–7–86/पैक्स कैडर दि0 16–1–09 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबन्ध एवं विकास खाते में वर्ष 2014–15 एवं गत वर्षो हेतु निर्धारित अंशदान जमा करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

उल्लेखनीय है कि **उ0प्र0 उत्तर प्रदेश कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबन्ध एवं विकास नियमावली 2006 के नियम 5(2) में व्यवस्था है कि ''जिला सहकारी बैंकों,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक, तथा अन्य शीर्ष संस्थाओं द्वारा समय–समय पर निबन्धक द्वारा निर्धारित किये गये दर पर किये गये अंशदान'', तथा नियमावली के नियम 6 में व्यवस्था दी गयी है कि ''जिला सहाकरी बैंकों, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक, यू0पी0 कोआपरेशन फेडरेशन लि0 एवं शीर्ष संस्थाओं द्वारा देय अंशदान निबन्धक द्वारा समय–समय पर निर्धारित सारिणी के द्वारा जमा कराया जायेगा।''**

नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार परिपत्रांक सी–72/अधि0–7–86/पैक्स कैडर दि0 16–1–09 द्वारा डी0सी0बी0 हेतु वार्षिक अंशदान की दरों का निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है:–

'' बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा 11(1) का अनुपालन करनेवाले बैंकों द्वारा पैक्स को दिये गये अल्पकालीन ऋण का 0.25 प्रतिशत ।''

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि लाईसेन्स प्राप्त 34 जिला सहकारी बैंकों से वर्षवार निर्धारित अंशदान जमा कराते हुए सूचना निम्न प्रारूप पर एक सप्ताह में उपलब्ध करायें।

कम सं0	वित्तीय वर्ष	बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा 11(1) का अनुपालन करनेवाले बैंकों द्वारा पैक्स को दिये गये अल्पकालीन ऋण (धनराशि लाख रू0 में)	कालम सं0 3 के अनुसार वितरित ऋण का 0.25 प्रतिशत। (धनराशि लाख रू0 में)	उत्तर प्रदेश कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबन्ध एवं विकास निधि मे जमा धनराशि। (धनराशि लाख रू0 में)	अवशेष धनराशि जो जमा होनी बाकी है। (धनराशि लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	2009–10				
2	2010–11				
3	2011–12				
4	2012–13				
5	2013–14				
6	2014–15				
	योग				

इसे शीर्ष प्राथमिकता दें।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।